

बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरि स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को बिहार राज्य मंत्रपरिषद की बैठक में बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मंत्रपरिषद ने कई अन्य महत्वपूर्ण नरिणय लयि।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति के अंतर्गत बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल उत्पादन के लयि प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम पाँच करोड़ तक होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिपछिड़ा वर्ग की महिला, दवियांग, वार वडिओ, एसडि अटैक से पीड़ित व थर्ड जेंडर के उद्यमयिों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15.75 प्रतिशत और अधिकतम पाँच करोड़ 25 लाख रुपए दया जाएगा।
- कैबिनेट वभिाग के अपर मुख्य सचवि डॉ. एस सदिधार्थ ने बताया कि इस नीति के तहत अनुदान प्राप्त करने के लयि इकाइयों को स्टैंड-1 क्लीयरेंस के आवेदन देने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 है।
- साथ ही इन इकाइयों को 30 जून, 2025 तक वतितीय प्रोत्साहन मंजूरी के लयि आवेदन करना होगा।
- यह नीति संकल्प नरिगत होने की तिथि से 31 मार्च, 2028 तक प्रभावति रहेगी।
- अपर मुख्य सचवि ने बताया कि बायोफ्यूल के उत्पादन से जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय नरिभरता कम होगी। इसके फलस्वरूप वदिशी मुद्रा की बचत होगी। बायोफ्यूल के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और कसिानों को गन्ना एवं अनाज उत्पादन का शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही कचरा को कंप्रेसड गैस में परिवर्तित करने की सुवधि प्राप्त होगी, जसिसे वयापार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
- इसके अलावा मंत्रपरिषद ने बिहार राज्य नविश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चरम) नीति 2022 के तहत आवेदन करने वाली इकाइयों के लयि आवेदन की अंतिम तिथि विसितारति करते हुए 30 जून, 2024 कर दया है। पूर्व में 30 जून, 2023 नरिधारति थी।
- कैबिनेट ने इकाइयों द्वारा वतितीय मंजूरी के लयि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 करने की स्वीकृति दी है। बिहार राज्य नविश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चरम) नीति 2022 के लागू होने के बाद राज्य में कपड़े और चमड़े के क्षेत्र में नविशकों को प्रोत्साहन मला है।
- कैबिनेट ने बिहार वास्तुवदि सेवा नयिमावली 2014 में संशोधन करते हुए संवदि पर नयिोजति कर्मयिों को नयिमति नयिकृति में 25 प्रतिशत वेटेज देने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य नविश प्रोत्साहन परषद द्वारा 59 इकाइयों को पहले चरण में स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रस्तावति नविश की राशा 311.63 करोड़ है, इस नीति के लागू होने के बाद मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर प्रारंभ हुआ। इसमें 1100 से अधिक औद्योगिक सलाई मशीनों पर टेक्सटाइल बैग का नरिमाण कया जा रहा है।
- मुजफ्फरपुर और पटना ज़िला में भी 1000 से अधिक स्टीचिंग मशीनों के साथ टेक्सटाइल बैग बनाने की इकाइयों स्थापति की गई है। मुजफ्फरपुर में आरसीएस इंटरनेशनल व वी-2 आदिकंपनयिों द्वारा वस्त्र नरिमाण की इकाइयों स्थापति की जा रही है। चमड़ा क्षेत्र में सात कंपनयिों द्वारा मधुबनी में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से परयोजना लाई जा रही है।